बिहार सरकार,
पर्यावरण एवं वन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

प्रेषक,

ए० के० पाण्डेय, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण एवं वन विभाग,
बिहार, पटना। पटना 14, दिनांक–

विषय – नालंदा जिलान्तर्गत बिहारशरीफ–एकंगरसराय–तेलहाड़ा पथ किनारे 33/11 KV मुसहरी–जमुआवाँ पारेषण लाईन के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 3.45 हे० वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि नालंदा जिलान्तर्गत बिहारशरीफ–एकंगरसराय–तेलहाड़ा पथ किनारे 33/11 KV मुसहरी–जमुआवाँ पारेषण लाईन के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 3.45 हे० वन भूमि अपयोजन हेतु विद्युत कार्यपालक अभियन्ता (परियोजना), विद्युत परियोजना प्रमंडल, नालंदा का प्रस्ताव वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रस्तावित पारेषण लाईन निर्माण में 3.45 हे० वन भूमि का अपयोजन होना है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा द्वारा परियोजना निर्माण के क्रम में वृक्षों का पातन प्रस्तावित नहीं किया गया है। मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना निर्माण के क्रम में 41 वृक्षों की छटाई की अनुशंसा वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा एवं वन संरक्षक, पटना द्वारा की गयी है (सूची संलग्न)।

2. प्रस्तावित पारेषण लाईन पथ तट के रूप में अधिसूचित क्षेत्र से हो कर गुजरती है एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा द्वारा प्रतिवेदित किया है कि परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि वन्यप्राणी आश्रयणी एवं राष्ट्रीय उद्यान का भाग नहीं है।

3. वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा द्वारा परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि का वानस्पतिक घनत्व 0.2 अंकित किया गया है। गुजरने वाले पारेषण लाईन को मूल टोपो शीट नक्शा पर दर्शाते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित मूल टोपो शीट नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया हैं। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराया गया Geo Referring Map प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

4. जिला पदाधिकासी, नालंदा द्वारा 3.45 हे० वन भूमि अपयोजन के लिये FRA, 2006 का प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है जो इस पत्र के साथ संलग्न है।

5. वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन कर वन भूमि में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था। वर्त्तमान में वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को बंद करा दिया गया है एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा दोषी पदाधिकारियों का नाम एवं पदनाम प्रस्ताव के भाग--II में अंकित किया गया है।

6. परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली 3.45 हे० वन भूमि के बदले दुगुने अवकृष्ट वन 6.90 हे० अर्थात 7.00 हे० वन भूमि में क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा से प्राप्त कर वर्त्तमान मजदूरी दर पर प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

7. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (Ii) के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है।

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 3.45 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 21,59,700/– (रूपये इक्कीस लाख उनसठ हजार सात सौ) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 3.45 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये नवादा वन प्रमंडल, के नवादा प्रक्षेत्र अन्तर्गत पड़ेथा रक्षित वन (पी० एफ०) में 7.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि चिन्हित कि गयी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में अद्यतन दर पर जमा कराया जायेगा।
4. प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा MoEF&CC, नई दिल्ली के पत्रांक 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के आलोक में NPV के समतुल्य राशि रू० 21,59,700/– वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन वर्ष 2018 में करने के कारण अतिरिक्त जमा किया जायेगा। तद्आलोक में PCA का प्रावधान नहीं किया जा रहा है।
5. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय डिपू तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 600/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न भेजी जा रही। **उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।**

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(ए० के० पाण्डेय)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– FC-1051 दिनांक 24/09/2018

प्रतिलिपि – विद्युत कार्यपालक अभियन्ता (परियोजना), विद्युत परियोजना प्रमंडल, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/09/18

(ए० के० पाण्डेय)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

C/C